न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2022

बउनवान

शंकरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री लटूर, जाति मीना निवासी बमूलिया, तहसील बारां जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राज0 सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट्स)**

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 676 दिनांक 24.03.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. परोकार सरकार **(रेंस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक 25.07.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम बमूलिया तहसील बारां जिला बारां राज0 में स्थित आराजी साबिक खसरा नं0 291 रकबा 41 बीघा 19 बिस्वा का बाद सेटलमेंट नये खसरा नं0 316 रकबा 6.36 हेक्टर कायम किये गये है जो अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। अपीलान्ट के खातेदारी मे सेटलमेन्ट से पूर्व 41 बीघा 19 बिस्वा आराजी दर्ज थी परन्तु सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नं0 316 रकबा 3.36 हेक्टर कायम करते हुये 0.39 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे कम दर्ज कर दी थी, जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत माननीय उपजिला कलक्टर महोदय, बारां के यहां पेश किया। जिस पर माननीय उपजिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा खसरा नं0 316 रकबा 6.36 हेक्टर के स्थान पर रकबा 6.71 हेक्टर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 316 के समीप खसरा नं0 515 रकबा 1.39 हेक्टर सिवायचक रास्ता पुराना खसरा नं0 491 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक बजड व खसरा नं0 422 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक रास्ता कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा सिवायचक नं0 मे सेटलमेन्ट से पूर्व के मुकाबले बाद सेटलमेन्ट 0.47 हेक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दी गयी। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नं0 515 रकबा 1.39 हेक्टर मे से अपीलान्ट 0.35 हेक्टर कम करके अपीलान्ट के खसरा नं0 316 मे बढाने के आदेश प्रदान किये थे। उक्त आदेश की पालना पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.05.2016 को आदेश की पालना करते हुये इन्तकाल खोला गया। बाद इन्तकाल दिनांक 24.03.2017 को नायब तहसीलदार बारां के यहां पेश करने पर रेस्पो0 द्वारा नामान्तकरण 676 दिनांक 24.03.2017 को खारिज कर दिया गया। रेस्पो0 द्वारा गैरमुमकिन रास्ता बताकर इन्तकाल निरस्त करने मे कानूनी भूल की है जबकि सेटलमेन्ट के [illegible] खसरा नं0 515 रकबा 1.39 हेक्टर सिवायचक दर्ज कर दी जबकि पुराने [illegible] 4 बिस्वा जमीन सिवायचक व बंजड दर्ज थी इसी प्रकार खसरा [illegible] 11 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज थी। इस प्रकार पुराने खसरा नं0 मे कुल 5 बीघा 15 बिस्[illegible] थी और वर्तमान खसरा नं0 515 रकबा 1.39 हेक्टर सिवाय[illegible] दर्ज कर दी गयी। पु[illegible]बरो व रकबा के मुकाबले मे 0.47 हेक्टर भूमि अधिक दर्ज की गयी थी एवं अपीलान्ट के खातेदारी की आराजियात 0.39 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गयी थी। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन व जांच किये बिना उक्त इंतकाल नं0 676 को निरस्त करने में कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल की है इसलिये अपीलांट उक्त इन्तकाल को निरस्त करा पाने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नं 676 दिनांक 24.03.2017 निरस्त किया जाकर किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा सेटलमेन्ट के दौरान बढाये गये रकबे मे से 0.35 हेक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नं0 316 रकबा 6.36 हेक्टर के स्थान रकबा 6.71 हेक्टर दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि दौराने सेटलमेन्ट अपीलांट की कम की गई भूमि की पूर्ति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में पारित निर्णय की पालना में किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नं 676 दिनांक 24.03.2017 निरस्त किया जाकर अपीलांट के खाते में स्थित ग्राम बमूलिया की आराजी खसरा नंबर 316 रकबा 6.36 है. के स्थान पर रकबा 6.71 है. दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बारां द्वारा नामांतकरण खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा खसरा नं0 316 रकबा 6.36 हेक्टर के स्थान पर रकबा 6.71 हेक्टर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 316 के समीप खसरा नं0 515 रकबा 1.39 हेक्टर रास्ता मे से 0.35 हेक्टर कम करके अपीलान्ट के खसरा नं0 316 मे बढाने के आदेश प्रदान किये थे। नियमानुसार रास्ते मे से रकबा कम किया जाकर अपीलांट का रकबा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि उक्त नामांतकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय के आधार पर खोला गया है, परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा अपने निर्णय में खसरा नंबर 515 गै.मु. रास्ते में से 0.35 है. भूमि कम कर अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 316 में उक्त रकबा बढाया गया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण रजिस्टर पर रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 515 [illegible] भूमि खातेदार के खसरा नंबर 316 में रकबा बढाना है। परन्तु गैर मुम. रास्ता [illegible] प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसमे से भूमि नहीं दी जा सकती। ऐसी [illegible] होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप [illegible] हीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.07.[illegible]23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)